भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पॉलिसी पर ऋण हेतु आवेदन पत्र

वर्तमान पता

प्रभारी अधिकारी,

भारतीय जीवन बीमा निगम

महोदय,

मोबाइल नं.: .....

ई-मेल: .....

(अपना वर्तमान पता एवं पॉलिसी संख्या अवश्य लिखें)

पॉलिसी संख्या .....

प्रपत्र 5204

निम्नांकित ऋण प्रार्थना-पत्र जहाँ अभ्यर्पित पर ऋण और शर्तों का अंकन हो चुका हो अथवा जहाँ पॉलिसी 1.6.69 को या इसके पश्चात् जारी की गई हो।

क. नया ऋण लेना हो/जहाँ कोई पूर्व स्वीकृत ऋण मौजूद नहीं हो।

ख. दुबारा ऋण जहाँ पूर्ण स्वीकृत ऋण 6 प्रतिशत 7.5 प्रतिशत, 9 प्रतिशत अथवा 10.5 प्रतिशत पर विद्यमान हो।

महोदय,

मुझे/हमें उपरोक्त पॉलिसी के अन्तर्गत ..... रुपये या अधिकतम उपलब्ध राशि ऋण के रूप में प्रदान करने की कृपा करें। मैं/हम ऋण राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर से छःमाही ब्याज देना स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

1. मैं/हम उन नियमों और शर्तों से परिचित हूँ/हैं जिनके तहत ऋण दिया जायेगा। मैं/हम नियमों और शर्तों से भी अवगत हूँ/हैं जो पॉलिसी के पृष्ठ भाग पर अंकित की जा चुकी है अथवा जो ऋण शीर्षक धारा में मुद्रित शर्तों और अधिकारों में वर्णित है।
2. विधिवत पूरी की गई सम्बन्धित ऋण राशि की रसीद संलग्न है।
3. आपके पक्ष में विधिवत समनुदेशित पॉलिसी संलग्न है।

भवदीय,

हस्ताक्षर पुरुष बीमाधारक .....

हस्ताक्षर महिला बीमाधारक .....

प्रपत्र संख्या 5205

जहाँ पूर्व स्वीकृत ऋण विद्यमान है और पहले के ऋण के उक्त पॉलिसी पृष्ठ पर ऋण सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख है।

महोदय,

विषय : पॉलिसी सं. .....

1. मुझे/हमें पॉलिसी के अन्तर्गत रुपये ..... या अधिकतम उपलब्ध राशि ऋण के रूप में प्रदान करने की कृपा करें। मैं/हम प्रस्तुत ऋण पर 9.5 % दर से छःमाही ब्याज देना स्वीकार करता हूँ/है।
2. मैं/हम उपनियमों और शर्तों से अवगत हूँ/है जिनके आधार पर ऋण प्रदान किया जायेगा तथा मैं/हम यह भी जानते हैं कि सम्बन्धित नियम और शर्तें पॉलिसी के पृष्ठ भाग पर अंकित भी है।
3. ऋण राशि की रसीद व समनुदेशित का प्रपत्र विधिवत पूर्ण करके संलग्न है।

भवदीय,

हस्ताक्षर पुरुष बीमाधारक .....

हस्ताक्षर महिला बीमाधारक .....

प्रपत्र संख्या 5198/5199

बीमाधारी द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए पॉलिसी का निगम के पक्ष में समनुदेशन (असाइनमेंट) का प्रपत्र

मैं/हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता ..... (पूरा नाम) बीमाकृत एवं ..... (पूरा नाम) सशर्त समनुदेशन करते है कि इस बीमाकृत पॉलिसी सं. ..... में निहित मेरे/हमारे समस्त अधिकार एवं आर्थिक हित समनुदेशित करते है कि बीमा पॉलिसी में एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली रकम और उससे सम्बन्धित समस्त, निहित लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम, उनके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशितों को पूर्णरूपेण समनुदेशित है।

1. हस्ताक्षर साक्षी .....
   पूरा नाम .....
   पद .....
   पता .....
   .....
2. हस्ताक्षर साक्षी .....
   पूरा नाम .....
   पद .....
   पता .....
   .....

हस्ताक्षर — महिला बीमाधारी

हस्ताक्षर — पुरुष बीमाधारी

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषय वर्णित समनुदेशन को देशी भाषा में समनुदेशक को समझा दिया है एवं तत्पश्चात् उसने हस्ताक्षर अंगूठा निशानी मेरी उपस्थिति में पूर्णरूपेण समझ कर किया है।

साक्षी के हस्ताक्षर

ऋण राशि प्राप्ति की रसीद का प्रपत्र

रुपये ..... स्थान ..... दिनांक .....

मैं/हम (1) ..... (2) ..... एतद् द्वारा

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी पॉलिसी संख्या ..... के अन्तर्गत मुझे ऋण के रूप में प्रदत्त

रुपये ..... (शब्दों में) ..... की धनराशि स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

नाम .....

वर्तमान पता .....

.....

पुरुष 1.

महिला 2.

यदि ऋण राशि रुपये 5000 से अधिक हो तो रु. 1.00 का रसीद टिकट लगावें।

बीमाधारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या 3599 ए

पॉलिसी ऋण हेतु मेरे उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक ..... के संदर्भ में लेख है कि यह एक लाभ सहित मनीबैंक पॉलिसी है, अत: मैं सहमति देता हूं कि भविष्य में इस के अन्तर्गत कोई भी दावा उत्पन्न होने की दशा में चाहे वह विद्यमानता हितलाभ, परिपक्वता या मृत्यु के कारण हो निगम उस की राशि मूल ऋणराशि तथा ब्याज हेतु समायोजित कर सकेगा, इस के पश्चात, जब सम्पूर्ण मूलधन तथा ब्याज का समायोजन हो जाये, जो शेष राशि देय हो वह मुझे या मेरे नामित श्री/श्रीमती ..... को मेरी मृत्यु होने की दशा में भुगतान कर दी जायें।

हस्ताक्षर बीमाधारी

अधिकार पत्र

यदि रसीद एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की गई हो और यह अपेक्षा की जाय कि भुगतान हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से किसी एक को अथवा उनके अतिरिक्त किसी अन्य को कर दिया जाय तो निम्नलिखित अधिकार पत्र उन सभी द्वारा हस्ताक्षरित होकर पूरा होना चाहिये।

स्थान .....

दिनांक .....

मैं/हम एतद् द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकार प्रदान करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त ऋण की धनराशि में से रुपये ..... श्री ..... को भुगतान कर दिया जाये।

पुरुष बीमाधारक .....

महिला बीमाधारक .....

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस अधिकार पत्र विवरण (1) श्री .....

(2) श्री ..... को भली भाँति समझा दिया है और वह/वे इस बात से सहमत है/है कि उपरोक्त धनराशि का भुगतान अधिकार-प्रदत व्यक्ति श्री ..... को कर दिया जाये।

घोषणाकर्त्ता के हस्ताक्षर

निर्देश : यदि उपरोक्त अधिकार पत्र भरने वाले एक या दोनों व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते है तो अधिकार-पत्र के नीचे लिखा घोषणा-पत्र किसी हिन्दी जानने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिये और हस्ताक्षरों का हिन्दी रूपान्तर अवश्य लिखना चाहिये। यदि एक अथवा दोनों हस्ताक्षरकर्त्ता निरक्षर है तो घोषणाकर्त्ता को यह पुष्टि करनी चाहिये कि निशानी अंगूठा भी उनके सामने लगाये हैं।

यदि व्यक्ति की राशि 500 रुपये से अधिक है तो घोषणाकर्त्ता निम्न में से एक होना चाहिये। मजिस्ट्रेट/जस्टिस ऑफिसर्स/खण्ड विकास अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, सरकार द्वारा संचालित किया उच्च माध्यमिक अथवा हाई स्कूल का प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी, जीवन बीमा निगम का प्रथम श्रेणी का अधिकारी अथवा जीवन बीमा निगम का वह विकास अधिकारी जिसकी नौकरी कम से कम ५ वर्ष की हो और जो अधिकारी जिला परिषद् का अध्यक्ष अथवा ग्राम पंचायत समिति का प्रधान भी हो सकता है।

अनुदेश (हिदायतें)

1. उपर्युक्त समनुदेशन का प्रपत्र फाड़ा जाकर पॉलिसीयों के पीछे रिक्त स्थान पर चिपकाकर पूर्ण करने की अवस्था में स्टाम्प व्यय नहीं करना है। यदि समनुदेशन किसी कागज पर सम्पादित किया जाता है तो तब उसके शब्दों की नकल स्टाम्प पर की जाती है जो (स्पेशल एडहेसिव अथवा नॉन ज्यूडिशियल कागज समुचित मूल्य के हो) समनुदेशन के दस्तावेज को आगे प्रेषण करने से पूर्व स्वयं समनुदेशक को संतुष्ट होना चाहिये कि उस पर समुचित मूल्य का टिकट लगा दिये हैं।
2. समनुदेशक को अपने हस्ताक्षर/अंगूठे निशानी साक्षी की उपस्थिति में समनुदेशन पर करनी होगी। समनुदेशक यदि अशिक्षित है तो वह अंगूठा निशानी शिक्षित व्यक्ति की उपस्थिति में लगावें। ऐसी अवस्था में साक्षी करने वाले व्यक्ति को निम्न प्रमाण-पत्र देना होगा ''प्रमाणित किया जाता है कि समनुदेशन के उपरोक्त विवरण मेरे द्वारा देशी भाषा में इन्हें समझा दिये हैं तथा पूर्ण रूपेण समझने के बाद हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशानी मेरी उपस्थिति में की गई है।'' ऐसी स्थिति में व्यक्ति न्यायाधीश दण्डनायक अथवा राजपत्रित अधिकारी होने चाहिये।